पत्रांक –3/एम० –143/2011सा०...../

**बिहार सरकार**
**सामान्य प्रशासन विभाग।**

प्रेषक,

नवीन कुमार
मुख्य सचिव।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी।
सभी पुलिस अधीक्षक।

पटना– 15, दिनांक.....2012

**विषयः– मंत्रियों द्वारा जिला पदाधिकारियों एवं अन्य क्षेत्रीय पदाधिकारियों (पुलिस पदाधिकारियों सहित) को सीधे दिये गये आदेश के अनुसरण में समुचित कार्रवाई के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के प्रसंग मे निदेशानुसार कहना है कि मंत्रियों और उनके आप्त सचिवों द्वारा जिला पदधिकारियों एवं अन्य क्षेत्रीय पदाधिकारियों को सीधे आदेश दिये जाने पर वैसे आदेश के निष्पादन की प्रक्रिया के संबंध में नियुक्ति विभाग के पत्रांक– III/आर०–1–207/57ए०–ए०आर०–128 दिनांक 18 अगस्त, 1958 के तहत मार्गदर्शन निर्गत है। परन्तु इसका अनुपालन नहीं हो पाने की ओर राज्य सरकार का ध्यान आकृष्ट हुआ है। हाल ही में, एक पुलिस अधीक्षक द्वारा राज्य सरकार के मंत्री महोदय को सीधे सम्बोधित करते हुए पत्र लिखा गया है। राज्य सरकार ने इसे गम्भीरता से लिया है।

2. ज्ञातव्य है कि सामान्यतः किन्हीं मंत्री का कोई आदेश संबंधित पदाधिकारी को अनुपालन हेतु सचिवालय के माध्यम से संसूचित किया जाता है। हालाँकि, कभी–कभी, विशेष रूप से भ्रमण के दौरान, किन्हीं मंत्री द्वारा किसी पदाधिकारी को कोई आदेश या निदेश सीधे दिया जा सकता है। 1958 के उक्त परिपत्र में यह निदेश दिया गया था कि ऐसे किसी लिखित या मौखिक आदेश का संबंधित पदाधिकारी द्वारा अनुपालन किया जाना चाहिए, जब तक कि वह विधि, विहित नियमों एवं विनियमों या सरकार के स्पष्ट निर्धारित किसी नीति के विरुद्ध नहीं हो; अथवा जनहित में ऐसे आदेश के पुनर्विचार का कोई ठोस कारण नहीं हो। यह निर्धारित करना संबंधित पदाधिकारी का व्यक्तिगत कर्त्तव्य होता है कि ऐसे आदेश अनुपालन योग्य हैं या सचिवालय के संबंधित विभाग को निर्देशित करने योग्य

हैं। ऐसे आदेश का अनुपालन किया जाय या संबंधित प्रशासी विभाग को निर्देशित किया जाय, दोनों ही स्थितियों में, यह संबंधित पदाधिकारी का कर्त्तव्य होता है कि संबंधित विभाग को, बिना किसी चूक के तुरत तथ्यात्मक प्रतिवेदन दें। ऐसे मामलों में, जहाँ ऐसे आदेश का अनुपालन किया जाना ऐसे पदाधिकारियों के लिए संभव नहीं पाया जाय वहाँ, तथ्य एवं परिस्थिति–विशेष संबंधी प्रतिवेदन सरकार के आदेश के लिए, उचित माध्यम से, भेज देना चाहिए, और एक अग्रिम प्रति सीधे सरकार के प्रशासी विभाग को दी जानी चाहिए ताकि आकस्मिक मामलों में सचिवालय के माध्यम से सरकारी अनुदेश निर्गत होने में विलम्ब नहीं हो।

3. उपर्युक्त आलोक में यह पुनः निदेश दिया जाता है कि जिला पदाधिकारीगण एवं अन्य क्षेत्रीय पदाधिकारीगण (पुलिस पदाधिकारियों सहित), भ्रमण कार्यक्रम को छोड़कर अन्य किसी भी विषय पर, किन्हीं मंत्री या उनके आप्त सचिव से सीधे पत्राचार नहीं करेंगे। वे, यथास्थिति, सरकार के प्रशासी विभाग के प्रधान सचिव/सचिव को ही पत्र संबोधित करेंगे। यदि किन्हीं मंत्री से सीधे कोई आदेश/संसूचन प्राप्त होता हो तो, पदाधिकारी का प्रतिवेदन (मंत्री के प्रासंगिक आदेश/संसूचन की प्रति के साथ) सरकार के संबंधित विभाग को, यथासंभव तुरत भेजा जाय। आकस्मिक मामलों में, या यदि मंत्री महोदय द्वारा माँगा जाय तो, प्रतिवेदन की एक प्रति संबंधित मंत्री महोदय को भी भेजी जाय।

4. अनुरोध है कि उपर्युक्त अनुदेश का अनुपालन दृढ़तापूर्वक किया जाय तथा सरकार के मंत्रियों या उनके आप्त सचिवों से सीधे पत्राचार नहीं किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

विश्वासभाजन,

(नवीन कुमार)
मुख्य सचिव।

**ज्ञापांक– 3/एम०–143/2011सा०** 8529 **/पटना–15, दिनांक–** 13.06.**2012**

प्रतिलिपि– सरकार के सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी क्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक को सूचना एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

मुख्य सचिव।

**ज्ञापांक – 3/एम०–143/2011सा०प्र०–** 8529 **/ पटना, दिनांक** 13 **जून, 2012**

प्रतिलिपि – सभी माननीय मंत्रियों के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि उक्त पत्र से माननीय मंत्री महोदय को अवगत कराने की कृपा करेंगे।

(नवीन चन्द्र झा)
सरकार के संयुक्त सचिव।